ई–मेल-cfaligarh@gmail.com.

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 462 / 14–1(44699 / 2020)दिनांक: अलीगढ़:अगस्त: 18,2025

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– **कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद–हाथरस में नगला उम्मेद भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस– आगरा मार्ग) किमी0 03 (चैनेज–2.243) की बांयी पटरी खसरा संख्या–10 में मैं0 इण्डियन आयल कारपोरेषन लि0 द्वारा न्यू रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.069777 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।**
प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0 / यूपी0 / एप्रोच / 44699 / 2020

सन्दर्भः–
1– भारत सरकार की पत्र सं0–08बी / यू0पी0 / 06 / 68 / 2022 / एफ.सी. / 86 दिनांक 29.07.2024.
2– भारत सरकार की पत्र सं0–08बी / यू0पी0 / 06 / 68 / 2022 / एफ.सी. / 124 दिनांक 23.09.2024
3– अनु सचिव, उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या–1932 / 81–2–2024–800(69) / 2022, दि0 24.01.2025
4– आपका पत्रांक–815 / 11सी–एफ.पी. / यू.पी. / एप्रोच / 44699 / 2020 दिनांक 23.09.2024.
5– प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस का पत्रांक–227 / 35–1 दिनांक 28.07.2025.

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार एवं उ0प्र0 शासन के सन्दर्भित पत्रों द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस के सन्दर्भित पत्र से उपलब्ध कराया गया है, जो कि संलग्नक सहित ऑनलाइन कर निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

Sl.No.	Observation	Reply
1-	Action Should be initiated under clause 1-16 (i)b, under section 3A & 3B for violation, under van (sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam 1980.	प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रतिष्ठान प्रभागीय कार्यालय, हाथरस के पत्रांक–293 / 14–1, दिनांक 03.07.2023 द्वारा बन्द कराकर संरक्षित वन क्षेत्र के गैर वानिकी प्रयोग को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जा चुका है तथा एफ0सी0ए0 गाइड लाईन दिनांक 15.05.2023 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–0032 दिनांक 22.02. 2024 दर्ज करायी जा चुकी है। उक्त वाद में मा0 न्यायालय, हाथरस द्वारा जारी दण्डादेश / आदेश की प्रति संलग्न है। (संलग्नक–1)
2	There is no clarity on the action taken by the state Govt. on the concerned Forest officials who failed to Prevent the violation. The same should be submitted By the state Government.	उक्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन फलस्वरूप 3ए / 3बी के अर्न्तगत कार्यवाही प्रारम्भ करनें के लिए तत्कालीन क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री शोभाराम ओझा (सेवानिवृत) एवं श्री अजीहसन वनविद तत्कालीन वीट / सैक्शन प्रभारी दोषी हैं। इस कार्यालय के पत्रांक 633 / 2–1 दिनांक 25.08.2022 (सलग्नक–2) एवं 634 / 2–1 दिनांक 25.08.2022 (संलग्नक–3) द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी का स्पष्टीकरण मांगा

		गया जिसमें इनके द्वारा अवगत कराया गया कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन की घटना प्रकाश आते ही पम्प मालिक के विरूद्ध एच0 टू केस स0 22/हाथरस/2022-23, दिनांक 25.07.2022 जारी कर अभियुक्त से रु0 60,000 प्रतिकर वसूलकर ई0-3, संख्या 153488 जारी की गई। परन्तु उल्लंघन न रोक पाने के कारण इनको कठोर चेतावनी जारी कर इनके व्यक्तिगत पत्रावली में चस्पा की गई है। तथा सम्बन्धित बीट/सैक्शन प्रभारी को इस कार्यालय के पत्रांक 1548/2-1, दिनांक 25.11.2022 द्वारा बीट/सैक्शन के प्रभार से हटा दिया गया। (संलग्नक-4)

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(भीमसेन)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
/प्रभारी वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक- 462/14-1, दिनांकित।

1-प्रतिलिपिः-प्रबन्धक इण्डियन आयल कारपोरेषन लिमिटेड आई0ओ0सी0 भवन 65/2 संजय प्लेस आगरा-282002 को सूचनार्थ प्रेषित।

2-प्रतिलिपिः-प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस को उक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
/प्रभारी वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

o/c

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग,हाथरस।

पत्राँक /14–1, दिनाँकः हाथरसः जुलाई, 28,7, 2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त,
अलीगढ़।

विषयः– कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-Post Facto) के अन्तर्गत जनपद हाथरस में नगला उम्मेद–नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस–आगरा मार्ग) कि0मी0 03 (चैनेज–2.43) की बांयी पटरी खसरा संख्या–10 पर आई0ओ0सी0एल0 द्वारा रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 0.069777 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/68/2022/एफ0सी0/36 दिनांक 29.07.2024 एवं 8बी/यू0पी0/06/68/2022/एफ0सी0/124 दिनांक 23.09.2024 एवं अनु सचिव उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या–1932/81–2–2024–800 (69)/2022 दिनांक 24.01.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-Post Facto) के अन्तर्गत जनपद हाथरस में नगला उम्मेद–नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस–आगरा मार्ग) कि0मी0 03 (चैनेज–2.43) की बांयी पटरी खसरा संख्या–10 पर आई0ओ0सी0एल0 द्वारा रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 0.069777 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रेषित प्रस्ताव में सन्दर्भित पत्रों द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निराकरण कर आख्या संस्तुति सहित निम्न प्रकार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

क्र0स0	आपत्ति	निराकरण
1	Action should be initiated under clause 1-16 (i)b, under section 3A & 3B for violation, under van (sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam 1980.	उक्त के अनुपालन में विषयक प्रतिष्ठान इस कार्यालय के पत्रांक 293/14–1 दिनांक 3.07.2023 द्वारा बन्द कराकर संरक्षित वन क्षेत्र के गैर वानिकी प्रयोग को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जा चुका है तथा एफ0सी0ए0 गाइड लाईन दिनांक 15.05.2023 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 0032 दिनांक 22.02.2024 दर्ज करायी जा चुकी है। उक्त वाद में मा0 न्यायालय हाथरस द्वारा जारी दण्डादेश/आदेश की प्रति संलग्न है।
2	There is no clarity on the action taken by the state Govt. on the concerned Forest officials who failed to Prevent the violation. The same should be submitted By the state Government.	उक्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन फलस्वरूप 3ए/3बी के अर्न्तगत कार्यवाही प्रारम्भ करनें के लिए तत्कालीन क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री शोभाराम ओझा (सेवानिवृत) एवं श्री अलीहसन वनविद तत्कालीन वीट/सैक्शन प्रभारी दोषी हैं। इस कार्यालय के पत्रांक 633/2–1 दिनांक 25.08.2022 एवं 634/2–1 दिनांक 25.08.2022 द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी का स्पष्टीकरण

Scanned with OKEN Scanne

		मांगा गया जिसमें इनके द्वारा अवगत कराया गया कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन की घटना प्रकाश आते ही पम्प मालिक के विरूद्ध एच0 टू केस स0 22/हाथरस/2022–23, दिनांक 25.07.2022 जारी कर अभियुक्त से मु0 60,000 प्रतिकर वसूलकर ई0–3, संख्या 153483 जारी की गई। परन्तु उल्लंघन न रोक पाने के कारण इनको कठोर चेतावनी जारी कर इनके व्यक्तिगत पत्रावली में चस्पा की गई है। तथा सम्बन्धित वीट/सैक्शन प्रभारी को इस कार्यालय के पत्रांक 1548/2–1, दिनांक 25.11.2022 द्वारा वीट/सैक्शन के प्रभार से हटा दिया गया। (संलग्न)

भवदीय,

Rhand

(राकेश चन्द्र यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

पत्रांक 227 /35–1 दिनांकि

प्रतिलिपि–प्रबन्ध आई0ओ0सी0एल0 आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

Chand

(राकेश चन्द्र यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

Scanned with OKEN Scanne

CNR No. UPHT040201862024
राज्य बनाम विनय कुमार वार्ष्णेय

मु0 अ0 सं0 32/2024
धारा–2 वन(संरक्षण) अधिनियम 1980
थाना–चंदपा
जिला–हाथरस

दिनांक–03.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त विनय कुमार वार्ष्णेय उपस्थित। अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से जुर्म स्वीकारोक्ति हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त विनय कुमार वार्ष्णेय के विरुद्ध धारा–2 वन(संरक्षण) अधिनियम 1980 का अभियोग है। अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया से अपना जुर्म स्वीकार किया जा रहा है, अतः प्रस्तुत मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त विनय कुमार वार्ष्णेय को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

अभियुक्त विनय कुमार वार्ष्णेय को वाद संख्या 18407/2024, मु0 अ0 सं0 32/2024, अं0 धारा–2 वन(संरक्षण) अधिनियम 1980 थाना चंदपा, जिला हाथरस के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। जामिनदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है तथा अभियुक्त के बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं।

3/1/25

दिनांक–03.01.2025

सिविल जज, (व0प्र0)एफ0टी0सी0/ए०सी०जे०एम०
हाथरस।
आई0डी0 यू0पी0 2584

दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

अभियुक्त के द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कहा गया है कि उनसे गलती हो गयी, उन्हें माफ किया जावे। अतः कम से कम सजा से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की है। अभियुक्त को अं0 धारा 2 वन(संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दोषी पाया गया है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त विनय कुमार वार्ष्णेय को अन्तर्गत धारा 2 वन(संरक्षण) अधिनियम 1980 में न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया जाना समाचीन होगा।

अभियुक्त विनय कुमार वार्ष्णेय को अन्तर्गत धारा 2 वन(संरक्षण) अधिनियम 1980 में न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया जाता है।

3/1/25

दिनांक–03.01.2025

सिविल जज, (व0प्र0)एफ0टी0सी0/ए०सी०जे०एम०
हाथरस।
आई0डी0 यू0पी0 2584

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करने के उपरान्त उद्घोषित किया गया। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

3/1/25

दिनांक–03.01.2025

सिविल जज, (व0प्र0)एफ0टी0सी0/ए०सी०जे०एम०
हाथरस।
आई0डी0 यू0पी0 2584

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान प्रतिलिपिक

Scanned with OKEN Scanner

सुरक्षा शर्मा एडवो

आपलोड
7-1-25
1-2-2

दिनांक नकल प्रार्थना पत्र	नोटिस का दिनांक	नकल जारी होने का दिनांक	हस्ताक्षर प्रधान प्रति लिपिक
4-1-25	7-1-25	7-1-25 सात जनवरी सन दो हजार पच्चीस	copy 2001 complete 07-1-2025

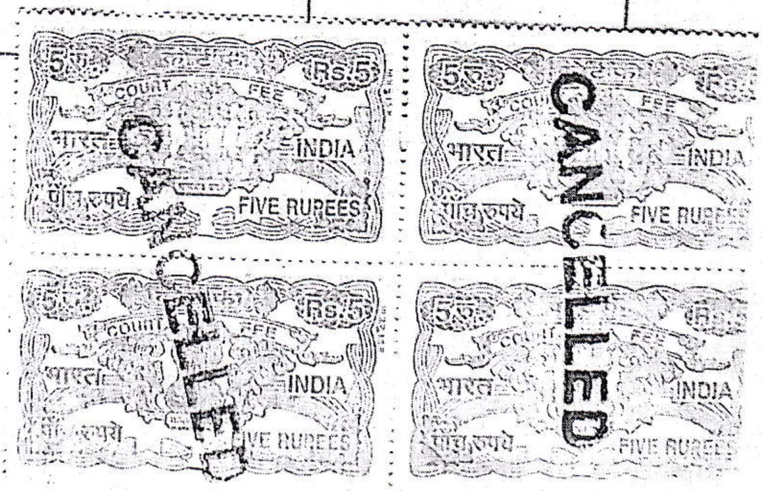

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग हाथरस

Mandu Road Sokhna near R.T.O Office, Hathras- E-mail- dfohathras @gmail.com

पत्रांकः 633/2–1, दिनांकः हाथरस,अगस्तः 25 2022.

श्री शोभाराम ओझा
क्षेत्रीय वन अधिकारी
हाथरस रेंज।

विषयः– जनपद हाथरस में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा अलीगढ़–हाथरस मार्ग किमी0 03 खसरा संख्या–10 ग्राम मीतई तहसील–हाथरस जिला हाथरस पर नवीन रिटेल आउटलेट के निर्माण कार्य हेतु प्रभावित 0.06977 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

इस कार्यालय की पत्र संख्या–2611/14–1 दिनांक 20.01.2021 के द्वारा जनपद हाथरस में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा अलीगढ़–हाथरस मार्ग किमी0 03 खसरा संख्या–10 ग्राम मीतई तहसील–हाथरस जिला हाथरस पर नवीन रिटेल आउटलेट के निर्माण कार्य हेतु प्रभावित 0.06977 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को ऑन लाइन भेजा गया था। भारत सरकार की पत्र संख्या–8बी/यू0पी0 06/68/2022/एफ.सी./146 दिनांक 21.06.2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि मौके पर बिना अनुमति प्राप्त किये पम्प मालिक द्वारा निर्माण कार्य कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय की पत्र संख्या–3855/14–1 दिनांक 23.06.2022 द्वारा प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आपको निर्देशित किया गया। चूँकि उक्त स्थल हाथरस रेंज के अन्तर्गत आता है। आपके द्वारा प्रकरण पर समय से कोई कार्यवाही न किये जाने के कारण पम्प मालिक द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये निर्माण कार्य कराया गया जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 का स्पष्ट उल्लंघन है। उच्च स्तर से प्रकरण प्रकाश में लाये जाने के लगभग एक माह बाद श्री गम्भीर सिंह, माली द्वारा रेंज केस संख्या 20/हाथ0/2022–23 दिनांक 25.07.2022 को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–33 के तहत इजरा किया गया जबकि उक्त क्षेत्र श्री अलीहसन वनवदि के सैक्शन/बीट के अन्तर्गत आता है। उक्त रेंज केस श्री अलीहसन वनविद को जांच हेतु सौपा गया है लेकिन श्री अलीहसन वनविद द्वारा प्रकरण पर कोई जांच आख्या प्रेषित नहीं की गई हैं। आपके द्वारा प्रकरण पर समय से कोई कार्यवाही न कर घोर लापरवाही का परिचय दिया जा रहा है जो राजकीय हित में उचित नहीं है। अतः आप इस सम्बन्ध में अपना औचित्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर दी जायेगी।

(डा0 चंद्र प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग,हाथरस।

पत्रांक 633/2–1 दिनांकित

वन संरक्षक, महोदया, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 चंद्र प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग,हाथरस।

O/C

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग हाथरस

Mandu Road Sokhna near R.T.O Office, Hathras- E-mail- dfohathras @gmail.com

पत्रांकः 634 /2–1, दिनांकः हाथरस,अगस्तः 25 2022.

श्री अलीहसन, वनविद
हाथरस सैक्शन/वीट प्रभारी,
हाथरस रेंज।
द्वाराः– क्षेत्रीय वन अधिकारी, हाथरस।

विषयः– जनपद हाथरस में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा अलीगढ़–हाथरस मार्ग किमी0 03 खसरा संख्या–10 ग्राम मीतई तहसील–हाथरस जिला हाथरस पर नवीन रिटेल आउटलेट के निर्माण कार्य हेतु प्रभावित 0.06977 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

इस कार्यालय की पत्र संख्या–2611/14–1 दिनांक 20.01.2021 के द्वारा जनपद हाथरस में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा अलीगढ़–हाथरस मार्ग किमी0 03 खसरा संख्या–10 ग्राम मीतई तहसील–हाथरस जिला हाथरस पर नवीन रिटेल आउटलेट के निर्माण कार्य हेतु प्रभावित 0.06977 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को ऑन लाइन भेजा गया था। भारत सरकार की पत्र संख्या–8वी/यू0पी0 06/68/2022/एफ.सी./146 दिनांक 21.06.2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि मौके पर बिना अनुमति प्राप्त किये निर्माण कार्य कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय की पत्र संख्या–3855/14–1 दिनांक 23.06.2022 द्वारा प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी, हाथरस को निर्देशित किया गया। चूँकि उक्त स्थल आपके सैक्शन/वीट के अन्तर्गत आता है। आपके द्वारा प्रकरण पर समय से कोई कार्यवाही न किये जाने के कारण पम्प मालिक द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये निर्माण कार्य कराया गया जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 का स्पष्ट उल्लघन है। उच्च स्तर से प्रकरण प्रकाश में लाये जाने के लगभग एक माह बाद श्री गम्भीर सिंह, माली द्वारा रेंज केस संख्या 20/हाथ0/2022–23 दिनांक 25.07.2022 को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–33 के तहत इजरा किया गया जबकि उक्त क्षेत्र आपके सैक्शन/वीट के अन्तर्गत आता है। उक्त रेंज केस आपको जांच हेतु सौपा गया है लेकिन आप द्वारा प्रकरण पर कोई जांच आख्या प्रेषित नहीं की गई हैं। आपके द्वारा प्रकरण पर समय से कोई कार्यवाही न कर घोर लापरवाही का परिचय दिया जा रहा है जो राजकीय हित में उचित नहीं है। अतः आप इस सम्बन्ध में अपना औचित्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर दी जायेगी।

(डा0 चंद्र प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग,हाथरस।

पत्रांक 634 /2–1 दिनांकित

वन संरक्षक, महोदया, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय वन अधिकारी, हाथरस को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप श्री अलीहसन, वनविद का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपनी सुस्पष्ट आख्या सहित प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(डा0 चंद्र प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग,हाथरस।

GP LETTAR

1025

Scanned with OKEN Scanne

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,हाथरस वन प्रभाग हाथरस।

Mandu Road Sokhna near R.T.O Office, Hathras- E-mail- dfohathras @gmail.com

पत्रांकः 1195/2–1, दिनांकः हाथरस, अक्टूबर 17, 2022

चेतावनी

जनपद हाथरस में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, लि0 द्वारा अलीगढ–हाथरस मार्ग कि0मी0 03 खसरा संख्या–10 ग्राम–मीतई, तहसील–हाथरस, जनपद–हाथरस पर नवीन आउटलेट का निर्माण मौके पर बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये पम्प मालिक द्वारा कर लिया गया है, जोकि वन संरक्षण अधिनियम–1980 की धारा–2 का स्पष्ट उल्लघन है।. चूँकि उक्त स्थल हाथरस रेंज के अन्तर्गत आता है। इस सम्वन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या–3855/14–1 दिनांक 23.06.2022 द्वारा प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया तथा इस कार्यालय के पत्रांक 633/2–1 दिनांक 25.08.2022 द्वारा श्री शोभाराम ओझा, क्षेत्रीय वन अधिकारी, हाथरस रेंज, हाथरस से स्पष्टीकरण मांगा गया। इनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 15.10.2022 के स्पष्टीकरण में लेख किया गया है कि उक्त प्रकरण प्रकाश में आने पर इनके द्वारा रेंज केस संख्या 20/हाथरस/2022–23 दिनांक 25.07.2022 भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–33 के तहत इजरा करा दिया गया है तथा अभियुक्त से मु0 60000.00 का प्रतिकर बसूल कर ई–3 संख्या–153488 दिनांक 25.07.2022 जारी की गयी है। परन्तु पम्प मालिक द्वारा बिना अनुमति निर्माण कार्य न रोक पाने के कारण अपने दायित्व का समय से निर्वहन न करने, राजकीय कार्यों में लापरवाही बरतने तथा कर्मचारी आचरण नियमावली–1956 के नियम–3 का उल्लंघन करने हेतु श्री शोभाराम ओझा, क्षेत्रीय वन अधिकारी, हाथरस, रेंज को कड़ी चेतावनी निर्गत की जाती है तथा भविष्य के लिये आगाह किया जाता है कि ऐसी पुनरावृत्ति भविष्य में कदापि न की जाय।

(डा0 चन्द्र प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग,हाथरस।

पत्रांक 1195 /2–1 दिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वन संरक्षक, अलीगढ वृत्त, अलीगढ।
2–श्री शोभाराम ओझा, क्षेत्रीय वन अधिकारी, हाथरस द्वारा मुख्य लिपिक, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।
3–अधिष्ठान प्रभारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस को श्री शोभाराम ओझा, क्षेत्रीय वन अधिकारी, हाथरस की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु ।
4–अधिष्ठान/गार्ड बुक हेतु।

(डा0 चन्द्र प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग,हाथरस।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,हाथरस वन प्रभाग हाथरस।

Mandu Road Sokhna near R.T.O Office, Hathras- E-mail- dfohathras @gmail.com

पत्रांकः 1482/2–1, दिनांकः हाथरस, 22-11-2022

चेतावनी

जनपद हाथरस में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, लि० द्वारा अलीगढ–हाथरस मार्ग कि०मी० 03 खसरा संख्या–10 ग्राम–मीतई, तहसील–हाथरस, जनपद–हाथरस पर नवीन आउटलेट का निर्माण मौके पर विना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये पम्प मालिक द्वारा कर लिया गया है, जोकि वन संरक्षण अधिनियम–1980 की धारा–2 का स्पष्ट उल्लघन है। चूँकि उक्त स्थल हाथरस रेंज के अन्तर्गत आता है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या–3855/14–1 दिनांक 23.06.2022 द्वारा प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया तथा इस कार्यालय के पत्रांक 634/2–1 दिनांक 25.08.2022 द्वारा श्री अलीहसन, वनविद, हाथरस रेंज, हाथरस से स्पष्टीकरण मांगा गया। इनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 20.11.2022 के स्पष्टीकरण में लेख किया गया है कि उक्त प्रकरण प्रकाश में आने पर तत्काल रेंज केस संख्या 20/हाथरस/2022–23 दिनांक 25.07.2022 भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–33 के तहत इजरा किया गया तथा अभियुक्त से मु0 60000.00 का प्रतिकर बसूल कर ई–3 संख्या–153488 दिनांक 25.07.2022 जारी कराई गयी है। परन्तु पम्प मालिक द्वारा बिना अनुमति निर्माण कार्य न रोक पाने के कारण अपने दायित्व का समय से निर्वहन न करने, राजकीय कार्यों में लापरवाही बरतने तथा कर्मचारी आचरण नियमावली–1956 के नियम–3 का उल्लंघन करने हेतु श्री अलीहसन, वनविद, हाथरस रेंज, हाथरस को कड़ी चेतावनी निर्गत की जाती है तथा भविष्य के लिये आगाह किया जाता है कि ऐसी पुनरावृत्ति भविष्य में कदापि न की जाय।

(डा0 चन्द्र प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग,हाथरस।

पत्रांक 1482 /2–1 दिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वन संरक्षक, अलीगढ वृत्त, अलीगढ।
2–श्री अलीहसन, वनविद द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, हाथरस।
3–अधिष्ठान प्रभारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस को श्री अलीहसन, वनविद की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु ।
3–अधिष्ठान/गार्ड बुक हेतु।

(डा0 चन्द्र प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग,हाथरस।

GP LETTAR

Scanned with OKEN Scanne

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग हाथरस।

Mandu Road Sokhna near R.T.O Office, Hathras E-mail dfohathras @gmail.com

पत्रांक 1548 /2–1, दिनांकः हाथरस, नवम्बर 25 2022

आदेश

हाथरस वन प्रभाग, हाथरस की हाथरस रेंज के हाथरससैक्शन/हाथरस वीट में कार्यरत श्री अलीहसन वनविद को हाथरस सैक्शन/हाथरस वीट का विधिवत् चार्ज श्री आशीष कुमार वनविद को हस्तगत करने के आदेश पारित किये जाते है। श्री आशीष कुमार, वनविद पर गुरसान सैक्शन का चार्ज पूर्वतः ही रहेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(डा0 चंद्र प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

पत्रांक 1548/2–1 दिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी, हाथरस।
2. श्री अलीहसन, वनविद को द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, हाथरस के इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप हाथरस सैक्शन/हाथरस वीट का विधिवत् चार्ज श्री आशीष कुमार वनविद को हस्तगत कर आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
3. श्री आशीष कुमार, वनविद को द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, हाथरस के इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप श्री अलीहसन वनविद से हाथरस सैक्शन/हाथरस वीट का विधिवत् चार्ज ग्रहण कर आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें, तथा चार्जनोट की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी के अवलोकन हेतु प्रेषित करें।
4. अधिष्ठान लिपिक/गार्ड बुक हेतु।

(डा0 चंद्र प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

चार्ज प्राप्त की
अलीहसन
व.द.

Scanned with OKEN Scanne